ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/2341/2004/सीकर सरवरखां बनाम भंवरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मदनलाल गूजर, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री अजयपाल ढिंढारिया, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः 11–08–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकऱ के निर्णय व डिक्री दिनांक 15–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, सीकर के न्यायालय में एक वाद उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बिना तरमीम किए गए बनाई गई सन् 1979–80 की सर्वेशीट में दुरस्ती व रिकार्ड दुरस्त करवाने बाबत् अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत पेश किया। दावे के विचाराधीन रहते प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 व धारा 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश कर कथन किया कि वाद आम रास्ते बाबत् सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादकारण कब उत्पन्न हुआ, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है, अतः अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज किया जावें। बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, सीकर ने अपने

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/2341/2004/सीकर सरवरखां बनाम भंवरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय व डिक्री दिनांक 28-04-2003 द्वारा प्रा0 पत्र को स्वीकार कर वाद को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी/वादी ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15-04-2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने वाद के कथनों को पढ़े व समझे बिना संक्षिप्त आधारों पर अपना निर्णय प्रदान किया। उनका यह भी तर्क था कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित मानकर अपने क्षैत्राधिकार का सही उपयोग नहीं किया व सरसरी तौर पर प्रथम अपील को खारिज कर दिया। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि धारा 136 के प्रावधान गत भू प्रबंध को आधार बताकर लागू नहीं किए जा सकते है, ऐसी स्थिति में प्रा0 पत्र धारा 136 चलने योग्य नहीं है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् भी था। विचारण न्यायालय ने वाद बाबत् उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपने निर्णय में कुछ नहीं लिखा। उनका तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने अपरोच वाद व धारा 136 के तहत चाही गई दादरसी को बिना समझे निरस्त कर अपीलार्थी को न्याय से वंचित किया है। उनका तर्क था कि विचारण	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/2341/2004/सीकर सरवरखां बनाम भंवरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय को वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार है या नही इस हेतु तनकी कायम करनी चाहिए थी तथा प्रतिवादीगण से जवाबदावा लेकर रेस्ज्यूडिकेटा के प्रश्न एवं वाद कारण हेतु भी तनकियात कायम कर उचित निर्णय पारित करना चाहिए था, ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने एक प्रकार से वाद निर्णित करने की प्रकिया को नहीं अपनाया व सरसरी तौर पर वाद खारिज करने में त्रुटि की, जिसका उन्हें अधिकार नहीं था। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय ने धारा 11 सी0पी0सी0 बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी ने रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धांत अप्लाई किया है, बिना रेस्ज्यूडिकेटा के प्रश्न को निर्णित करने के लिए तनकी कायम बिना राजस्व अपील प्राधिकारी को कयास के आधार पर इस प्रकार का निर्णय पारित करने का क्षैत्राधिकार नहीं था। उनका तर्क था कि वादी द्वारा अपने वाद में कॉज ऑफ एक्शन दर्शाया गया था तो विधिअनुसार सही था उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने कयास के आधार पर वाद कारण उत्पन्न होना नहीं मानकर निर्णय पारित किया, जो अनुचित है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय साक्ष्य व राजस्व रेकार्ड के विपरीत है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 व धारा 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को समझे बिना अपना निर्णय पारित किया।अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत है, अतः द्वितीय अपील को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/2341/2004/सीकर सरवरखां बनाम भंवरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। द्वितीय अपील का दायरा सीमित है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

वर्तमान अपील के अन्तर्गमत आक्षेपित आदेश अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत खारिज किए जाने संबंधी निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है। दावे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक ओर तो वादी रास्ते की भूमि के संबंध में अनुतोष प्राप्त करना चाहता है दूसरी ओर वह सर्वेशीट में दुरस्ती के माध्यम से अपने अधिकारों की घोषणा चाहता है। दोनों अधीनस्थ न्याायालयों ने अपने समवर्ती निष्कर्षो में यह अंकित किया है कि वादी द्वारा पेश किया गया वाद स्पष्ट नहीं है ना ही इसमें कोई स्पष्ट वाद हेतुक दर्ज किया गया है। हमारी सुविचारित राय में ऐसे वाद को आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज किए जाने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। हमारे समक्ष भी अपीलार्थी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं कर सका है जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षो को अभिलेख के विपरीत कहा जा सके। द्वितीय अपील का क्षैत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि वे अभिलेख के

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/2341/2004/सीकर सरवरखां बनाम भंवरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विपरीत हो। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस द्वितीय अपील में कोई सार नहीं पाते है। फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	